भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-343
उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

विद्यालयों की सुरक्षा संपरीक्षा

†*343. **डॉ. आलोक कुमार सुमनः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छात्रों की मृत्यु को रोकने के लिए देश के सभी विद्यालयों की सुरक्षा संबंधी जांच कराने/करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में विद्यालय भवनों के गिरने से छात्रों की मृत्यु की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) विद्यालयों की सुरक्षा संबंधी संपरीक्षा पूरी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा और सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए अन्य निवारक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

माननीय संसद सदस्य डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा "विद्यालयों की सुरक्षा संपरीक्षा" के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.08.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 343 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है तथा अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश एडवाइजरी प्रकृति के हैं तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन्हें लागू करें और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इनमें परिवर्धन/संशोधन भी करें/कर सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 26 जुलाई 2025 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को छात्रों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने हेतु एक नवीनतम निदेश जारी किया है। यह "स्कूल सुरक्षा और संरक्षा दिशानिर्देश" (2021) और स्कूल सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश (एनडीएमए, 2016) के संदर्भ में है और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संहिताओं के अनुसार स्कूलों और बच्चों से संबंधित सुविधाओं का सुरक्षा लेखा परीक्षा, आपातकालीन तैयारियों में कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षण, और परामर्श एवं सहकर्मी नेटवर्क के माध्यम से मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। मंत्रालय शिक्षा विभागों, स्कूल बोर्डों और संबद्ध प्राधिकारियों से इन उपायों को लागू करने में अविलंब कार्रवाई करने का आग्रह करता है। ये निदेश इस लिंक https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/ss2607.pdf पर उपलब्ध हैं:

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 7 अगस्त 2025 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुरक्षा लेखा परीक्षा के माध्यम से असुरक्षित और जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों की तत्काल पहचान करने, उसके बाद यदि आवश्यक हो तो ध्वस्तीकरण या संरचनात्मक रूप से असुरक्षित संरचनाओं की मरम्मत करने और सुरक्षित प्रमाणित होने तक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निदेश दिया है। प्राधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे जहां आवश्यक हो वहां अस्थायी स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करें, विध्वंस के कारण बने स्थान का लाभकारी उपयोग करें, नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें, और किसी भी पुन: अधिभोग के लिए सुरक्षा/संरचनात्मक उपयुक्तता अनुपालन प्रमाणन सुनिश्चित करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त उपायों को सख्ती से लागू करें और रोके जा सकने वाले बुनियादी ढांचे की विफलताओं के कारण आगे किसी भी तरह की चोट और जानमाल के नुकसान से बचें। ये निदेश लिंक https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/ss07008.pdf पर उपलब्ध हैं।

इससे पहले, भारत सरकार ने स्कूलों में बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल संरक्षा एवं सुरक्षा पर दिनांक 01.10.2021 दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश डीओएसईएल की वेबसाइट https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2021-10/guidelines_sss.pdf पर अपलोड किए गए हैं।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा स्कूल संरक्षा नीति पर दिशानिर्देश दिनांक 27.02.2017 को जारी किए गए। ये दिशानिर्देश इस लिंक https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/rte/Guidelines_feb.pdf पर उपलब्ध हैं:

इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों में बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विभिन्न हितधारकों और विभिन्न विभागों की जवाबदेही निर्धारित करने के प्रावधान निहित हैं।

दिशानिर्देशों का उद्देश्य सुरक्षित स्कूल वातावरण के लिए हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, मौजूदा सुरक्षा नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कार्यान्वयन में भूमिकाओं को स्पष्ट करना, स्कूल के क्रियाकलापों और परिवहन के दौरान बच्चों की संरक्षा के लिए जवाबदेही तय करना और लापरवाही के विरूद्ध कठोर 'शून्य सहनशीलता नीति' लागू करना है।

स्कूल संरक्षा और सुरक्षा पर डीओएसईएल के दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के स्कूल सुरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो सांविधिक प्रकृति के हैं और बिना किसी उल्लंघन के उनका अनुपालन किया जाना होता है।

एनडीएमए के दिशा-निर्देशों में स्कूल सुरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी का प्रावधान है, जिसमें सुरक्षा लेखा परीक्षा, वार्षिक मॉक ड्रिल, अग्निशामक यंत्रों की स्थापना, स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारी में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षण, ज्वलनशील और विषाक्त सामग्री के भंडारण के संबंध में सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन और केवल उन स्कूलों को मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करना शामिल है जो विशेष रूप से अग्नि सुरक्षा से संबंधित संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करते हैं।

*****